निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ.23(   )स्था/निकाशि/निर्देश/2012/691   दिनांकः— 19-10-2012

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (**RVRES**) के तहत नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों के ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के सम्बन्ध में एक वर्ष में एक से अधिक रिफ्रेशर कोर्स करने बाबत राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा आवश्यक जानकारी हेतु कार्मिको के प्रार्थना पत्र अग्रेषित किये जा रहे है ।

इस सम्बन्ध में यू.जी.सी. द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार केरियर एडवांसमेंट का लाभ लेने हेतु पात्रता की शर्तो के अनुसार दो रिफ्रेशर कोर्स करने के लिये एक वर्ष की अंतराल अवधि में शिथिलता प्रदान की जाती है परन्तु विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.07.2012 के ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के सम्बन्ध में जारी निर्देश के बिन्दू संख्या (V) के अनुसार ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के लिये नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर जाना होगा अर्थात Duty Leave देय नहीं होगी ।

समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि RVRES व्याख्याताओं के ओरियन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स के सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार निदेशालय से न करें । विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.07.2012 एवं उक्त निर्देशो का कठोरता से पालन करें ।

(सुनील कुमार शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., ।
8. समस्त शैक्षणिक कार्मिक RVRES
9. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर